

## Central Goods & Services Tax Act, 2017

### **Section 53 : Transfer of input tax credit**

On utilisation of input tax credit availed under this Act for payment of tax dues under the Integrated Goods and Services Tax Act in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 49, as reflected in the valid return furnished under sub-section (1) of section 39, the amount collected as central tax shall stand reduced by an amount equal to such credit so utilised and the Central Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the central tax account to the integrated tax account in such manner and within such time as may be prescribed.

---

**धारा 53 : इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण**

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित हैं, केन्द्रीय कर के रूप में संग्रहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।

---